उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्या-434 /2022 /2156/41-2022/44 (बजट)/2020
लखनऊ दिनांक 18 जुलाई 2021

संख्या-207/2022/आई/151878/2022/41-1002(001)/10/2022-44(बजट)/2020 दिनांक 31 मार्च 2022

का शुद्धि पत्र

जनपद गोरखपुर में स्थित चिलुआताल स्थल के विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य की परियोजना हेतु नामित कार्यदायी संस्था में परिवर्तन एवं परियोजना की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-207/2022/आई/151878/2022/41-1002(001)/10/2022-44(बजट)/2020 दिनांक 31 मार्च 2022 के प्रस्तर-02 एवं 03 में त्रुटिवश प्रयोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति रू0-2039.54 लाख जी0एस0टी0 सहित अंकित हो गई थी।

2- प्रयोजना हेतु नामित कार्यदायी संस्था यू0पी0पी0सी0एल0 के प्रबंध निदेशक द्वारा महानिदेशक पर्यटन उ0प्र0 को प्रेषित एवं शासन को पृष्ठांकित कर प्रेषित किये गये अपने पत्रांक-2605/ पी0सी0एल0/ मुख्यालय/ पर्यटन विभाग दिनांक 25.06.2022 के माध्यम से उक्त त्रुटि को इंगित करते हुये संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

3- अत: तत्क्रम में प्रयोजना की त्रुटिपूर्ण पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति *रू0-2039.54 लाख जी0एस0टी0 सहित* के स्थान पर एतद्द्वारा प्रयोजना की **पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति रू0-2039.54 लाख+जी0एस0टी0 (12 प्रतिशत)** अंकित किया जाता है। तदनुसार उक्त शासनादेश संख्या-207/2022/आई/151878/2022/41-1002(001)/10/2022-44(बजट)/2020 दिनांक 31 मार्च 2022 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेगे।

संजीव कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. महानिदेशक पर्यटन उ0प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी गोरखपुर।
6. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल0, लखनऊ।
8. संबंधित परियोजना प्रबंधक, यू0पी0पी0सी0एल0, गोरखपुर।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
10. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी,गोरखपुर
11. वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।